संख्या-228/2016/1586/22-2-2016-17(43)/2016

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 17 नवम्बर, 2016***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बल्लू पुत्र श्री हुसैन तकी, निवासी जनपद-बुलन्दशहर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34855/प्रोबे0-3/(एम-12-09-2016) दिनांक-26-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बल्लू पुत्र श्री हुसैन तकी, निवासी ग्राम-साखनी, थाना-जहांगीराबाद, जनपद-बुलन्दशहर का रहने वाला है। शव दफनाने को लेकर हुए विवाद में बन्दी ने 20 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 01.02.1989 में अपरान्ह् 03:30 बजे रायफल, बन्दूक, कट्टा, बल्लम, फरसा, छूरी आदि से मारकर 11 लोगों की हत्या कर दी एवं पुलिस पर भी फायरिंग की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-245/89 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-148, 332, 307 व 302/149 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-6, बुलन्दशहर द्वारा दिनांक 10-08-1992 को मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त मृत्युदण्ड को मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20.05.1994 द्वारा आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 26.06.2016 तक 25 वर्ष 00 माह 24 दिन की अपरिहार तथा 32 वर्ष 02 माह 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण अच्छा है। बन्दी के 03 सहअभियुक्तो की मृत्यु हो चुकी है, 01 सहअभियुक्त फरार है, 06 सहअभियुक्त मा० सत्र/उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किये गये तथा 10 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर ने बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज पर व्यापक प्रभाव डालने वाली घटना है, भविष्य में पुन: अपराध किये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है, बन्दी पुन: अपराध कर सकता है, बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा अपने सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अग्नेय अस्त्रों एवं धारदार हथियारो का प्रयोग कर 11 लोगों की निर्दयता पूर्वक हत्या की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी बल्लू पुत्र श्री हुसैन तकी, निवासी जनपद-बुलन्दशहर को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है।

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी बल्लू (बन्दी संख्या-6958) पुत्र श्री हुसैन तकी निवासी जनपद-बुलन्दशहर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-228/2016/1586(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार आगरा।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-228/2016/1586/22-2-2016-17(43)/2006

दिनांक 17 नवम्बर, 2016 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बल्लू पुत्र श्री हुसैन तकी, निवासी ग्राम-साखनी, थाना-जहांगीराबाद, जनपद-बुलन्दशहर का रहने वाला है। शव दफनाने को लेकर हुए विवाद में बन्दी ने 20 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 01.02.1989 में अपरान्ह् 03:30 बजे रायफल, बन्दूक, कट्टा, बल्लम, फरसा, छूरी आदि से मारकर 11 लोगों की हत्या कर दी एवं पुलिस पर भी फायरिंग की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-245/89 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-148, 332, 307 व 302/149 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-6, बुलन्दशहर द्वारा दिनांक 10-08-1992 को मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त मृत्युदण्ड को मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20.05.1994 द्वारा आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 26.06.2016 तक 25 वर्ष 00 माह 24 दिन की अपरिहार तथा 32 वर्ष 02 माह 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण अच्छा है। बन्दी के 03 सहअभियुक्तो की मृत्यु हो चुकी है, 01 सहअभियुक्त फरार है, 06 सहअभियुक्त मा० सत्र/उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किये गये तथा 10 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर ने बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज पर व्यापक प्रभाव डालने वाली घटना है, भविष्य में पुनः अपराध किये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है, बन्दी पुनः अपराध कर सकता है, बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा अपने सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अग्नेय अस्त्रों एवं धारदार हथियारो का प्रयोग कर 11 लोगों की निर्दयता पूर्वक हत्या की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी बल्लू पुत्र श्री हुसैन तकी, निवासी जनपद-बुलन्दशहर को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।